न्यायालय सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 898 सन 2026

(CNR No. UPFT-010023682026)

1– मुकेश सोनकर पुत्र सन्तोष सोनकर,

2– विकास सोनकर पुत्र सन्तोष सोनकर,

निवासीगण ग्राम खपटिहापर मजरे गढ़ा थाना किशनपुर जनपद फतेहपुर।

..... आवेदक/अभियुक्तगण

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

..... अभियोजक

अपराध संख्या: 132 सन 2026
धारा: 110,115(2),126(2),352 व 191(2),351(3)भारतीय न्याय संहिता
थाना: किशनपुर, जनपद फतेहपुर।

18.06.2026 :

आवेदक/अभियुक्तगण मुकेश सोनकर व विकास सोनकर की ओर से यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या 132 सन 2026 अन्तर्गत धारा 110, 115(2), 126(2), 191(2), 352, 351(2) भारतीय न्याय संहिता थाना किशनपुर जनपद फतेहपुर के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से कल्पना सोनकर द्वारा इस आशय का शपथपत्र दिया गया है कि इस न्यायालय में अभियुक्तगण का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में न तो दिया गया, न विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

अभियोजन कथानक के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा सीताराम पासवान ने दिनांक 14.05.2026 को सम्बन्धित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करायी कि उसका पुत्र जितेन्द्र पासवान ट्रैक्टर ड्राइवर है जो प्रदीप मिश्रा का ट्रैक्टर लेकर बालू खदान संगोलीपुर गढ़ा की तरफ जा रहा था कि अकेलवा आम चौराहा निकट अर्जुनपुर के पास मुकेश सोनकर व विकास सोनकर, शैलेश

सोनकर, अमर सिंह सोनकर, पिन्टू सोनकर, छव्वे सोनकर, सनोज सोनकर व एक व्यक्ति जो गेंदालाल का दामाद है, ने मिलकर उसके पुत्र को ट्रैक्टर रोककर एक राय होकर जान से मारने की नीयत से बुरी तरह मारापीटा जिससे मरणासन्न हो गया। वह उसी मरणासन्न हालत में हास्पिटल ले गया जिसका इलाज सदर अस्पताल फतेहपुर में चल रहा है।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की बहस सुना तथा केस डायरी आदि अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क रखा है कि आवेदकगण निर्दोष है, उन्हें इस मामले में रंजिशन झूंठा फंसाया गया है। प्राथमिकी विधिक परामर्श के उपरान्त विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। सत्यता यह है कि दिनांक 13.05.2026 को आवेदक मुकेश की पत्नी कल्पना अपने बच्चों के साथ घर के बाहर चबूतरे पर बैठी थी तभी वादी का पुत्र/ट्रैक्टर चालक जितेन्द्र पासवान शराब के नशे में तेजी व लापरवाही से ट्रैक्टर चलाते हुए जान से मारने की नीयत से चबूतरे में ट्रैक्टर चढ़ा दिया जिससे आवेदक की पत्नी व बच्चा कृष मरते मरते बचा एवं कल्पना ने किसी तरह अपने बच्चे को पकड़कर घसीट लिया, शोरगुल पर गांव के कुछ लोगों ने ट्रैक्टर पकड़ने का प्रयास किया तो चालक ट्रैक्टर भगा ले गया एवं ट्रैक्टर मालिक प्रदीप मिश्रा व वादी सीताराम को फोनकर बुलाया तथा ट्रैक्टर को अकेलवा आम चौराहा अर्जुनपुर के पास खड़ा कर दिया, तब तक प्रदीप मिश्रा व सीताराम पॉच छः अज्ञात लोगों के साथ पहुंचे एवं आवेदकगण से बातचीत करने लगे एवं गाली देते हुए ट्रैक्टर रोकने की बात कहकर को कहकर जान से मारने की नीयत से आवेदकगण को लात घूसों व बेल्ट तथा बदूंक व राइफल की बटों से मारापीटा व मुकेश के गले में पड़ी सोने की जंजीर एवं विकास की जेब से 7,200/– रूपये असलहों के बल पर लूट लिया, राहगीरों ने बीच बचाव का प्रयास किया तो उन्हें भी धमकाया जिसके सम्बन्ध में आवेदक की पत्नी कल्पना ने थाने में प्रार्थनापत्र दिया किन्तु उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी और न ही डाक्टरी करायी गयी और आवेदकगण के विरूद्ध झूंठी प्राथमिकी दर्ज कर दी। आवेदकगण द्वारा वादी के पुत्र को मारापीटा नहीं गया और न ही कथित घटना कारित की गयी अपितु वादी व प्रदीप मिश्रा आदि द्वारा स्वयं आवेदकगण के साथ मारपीट व लूट कारित की गयी है। प्राथमिकी एवं चिकित्सीय प्रपत्रों परस्पर विरोधाभासी है। आवेदकगण के विरूद्ध कथित अपराध नहीं बनता है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है। आवेदकगण सम्मानित परिवार के सदस्य है और उनकी पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की पूर्ण सम्भावना है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्तगण अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने योग्य है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने जमानत का घोर विरोध करते हुए यह तर्क रखा है कि आवेदक/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर लाठी डण्डा व लात घूसों से जान से मारने की नीयत से वादी के पुत्र जितेन्द्र पासवान को गाली गलौज करते हुए मारा पीटा गया जिससे जितेन्द्र पासवान को गम्भीर चोटें आयी। आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। विवेचक द्वारा अब तक की विवेचना के दौरान आवेदक/अभियुक्तगण सहित सह अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य संकलित की गयी है और प्रकरण की विवेचना प्रचलित है। आवेदक/अभियुक्तगण अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने योग्य नहीं है।

आवेदक/अभियुक्तगण पर आरोप है कि उन्होंने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी के पुत्र को जान से मारने की नीयत से लाठी डण्डों व लात घूसों से मारापीटा जिससे उसे चोटें आयी। प्राथमिकी के अनुसार वादी के पुत्र जितेन्द्र पासवान को प्रदीप मिश्रा का ट्रैक्टर लेकर बालू खदान संगोलीपुर गढ़ा की तरफ जा रहा होने व अकेलवा आम चौराहा निकट अर्जुनपुर के पास मुकेश सोनकर व विकास सोनकर, शैलेश सोनकर, अमर सिंह सोनकर, पिन्टू सोनकर, छव्वे सोनकर, सनोज सोनकर व एक व्यक्ति जो गेंदालाल का दामाद है, द्वारा मिलकर उसके पुत्र को ट्रैक्टर रोककर एक राय होकर जान से मारने की नीयत से बुरी तरह मारने पीटने जिससे मरणासन्न हो हो जाने तथा वादी द्वारा उसी मरणासन्न हालत में हास्पिटल ले जाने व इलाज सदर अस्पताल फतेहपुर में चल होने का उल्लेख किया गया है। अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार अभिकथित घटना में जितेन्द्र पासवान को चोटें आना बताया गया है तथा चोटहिल जितेन्द्र पासवान के चिकित्सीय प्रपत्रों के अनुसार उसके शरीर पर दो चोटें दर्शित की गयी है तथा उसकी सीटी स्कैन रिपोर्ट आदि पत्रावली पर उपलब्ध है। अभियोजन साक्षीगण सीताराम पासवान व प्रदीप मिश्रा ने अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए आवेदक/अभियुक्तगण की अभिकथित घटना में संलिप्तता बतायी है। अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार विवेचक द्वारा दौरान विवेचना धारा 109 भारतीय न्याय संहिता का लोप करते हुए धारा 110 भारतीय न्याय संहिता की अभिवृद्धि की गयी है। अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क रखा गया कि आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा अपने जमानत प्रार्थनापत्र में भी अप्रत्यक्ष रूप से अभिकथित घटना होना स्वीकार किया गया है। उनकी ओर से यह भी कथन किया गया कि आवेदक/अभियुक्तगण की अभिकथित घटना में संलिप्तता के सम्बन्ध में वीडियो रिकार्डिंग भी उपलब्ध है। उनकी ओर से यह भी कथन किया गया कि आवेदक/अभियुक्तगण निरन्तर फरार चल रहे है तथा यदि उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान की गयी तो वह विवेचना में सहयोग नहीं करेंगे।

अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार प्रकरण की विवेचना प्रचलित है। आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, केस की गम्भीरता, अपराध कारित करने में आवेदक/अभियुक्त की संलिप्तता/भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त विवेचन की पृष्ठभूमि में, मामले के गुण–दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, आवेदक/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकृत किये जाने का पर्याप्त व युक्तियुक्त आधार मौजूद नहीं है। तदनुसार अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्तगण मुकेश सोनकर व विकास सोनकर की ओर से प्रस्तुत उक्त अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक: 18.06.2026

(**चेतना चौहान**)
कृते सत्र न्यायाधीश,
फतेहपुर।